Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- रिश्वत प्रकरण में आरोपी संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिवार जनों के संयुक्त लॉकर की तलाशी में 945 ग्राम सोना एवं 1.027 किलोग्राम चांदी के आभूषण मिले, अनुमानित कीमत 1.46 करोड़ रूपये।

जयपुर, दिनांक 05 सितम्बर, 2026। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय के निर्देश पर जयप्रकाश चारण, संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर के विरुद्ध ब्यूरो की एस आई डब्लयू, जयपुर इकाई द्वारा दिनांक 04/09/2026 को की गई ट्रैप कार्रवाई के क्रम में आज एसीबी अजमेर इकाई द्वारा जारी अनुसंधान एवं सर्च कार्रवाई के दौरान आज उनके परिवार जनों के संयुक्त नाम से बैंक (अजमेर) में स्थित जॉइंट लॉकर की नियमानुसार तलाशी ली गई।

तलाशी के दौरान उक्त लॉकर में करीब **945 ग्राम सोने** एवं 1 किलोग्राम चांदी के आभूषण पाए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 1,46,43,000/— **रूपये** (एक करोड़ छियालिस लाख तैंतालीस हजार रुपये) आंकी गई है।

इसके अतिरिक्त, आरोपी जयप्रकाश चारण एवं परिजनों के से संबंधित दो बैंको में संचालित कुल 9 बैंक खातों की जांच की गई। उक्त खातों में कुल 64,26,780/— (चौंसठ लाख छब्बीस हजार सात सौ अस्सी रुपये) की राशि शेष पाई गई।

लॉकर में मिले आभूषणों एवं बैंक खातों में उपलब्ध राशि के संबंध में आवश्यक दस्तावेज एवं अभिलेख प्राप्त किए जा रहे हैं तथा इनके स्रोत, स्वामित्व एवं आय के ज्ञात स्रोतों से संबंध के संबंध में नियमानुसार अनुसंधान किया जा रहा है।

उक्त सर्च कार्रवाई **डॉ. रामेश्वर सिंह, उप महानिरीक्षक पुलिस**, एसीबी के सुपरविजन में तथा **श्री राजवीर सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक**, एसीबी अजमेर एवं **श्रीमती मीरां बेनीवाल, पुलिस निरीक्षक**, एसीबी अजमेर द्वारा की गई। प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अग्रिम अनुसंधान एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जारी है।